BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 80/2025

IN THE MATTER OF:
BASANTI DEVI & ORS. ....APPLICANT

VERSUS

PWD BHATWARI, UTTARKASHI & ORS ....
RESPONDENTS

NDOH: 19.12.2025

INDEX OF FILING

Sl.No.	PARTICULARS	Page NO.
1	REPORT ON BEHALF OF THE RESPONDENTS (DIVISIONAL FOREST OFFICER, UTTARKASHI FOREST DIVISION, UTTARKASHI)	1-7
2	**ANNEXURE-1.** COPY OF THE JOINT INSPECTION REPOT DATED 01.11.2025	8-18
3	**ANNEXURE-2.** COPY OF THE RESTORATION PLAN	19-39
4	PROOF OF SERVICE	40

FILED ON: 17.12.2025 FILED
BY:

(DHRUV TAMTA)
Advocate for the Respondents
Chamber No. 331, M.C. Setalvad Bock Supreme Court of India,
Bhagwan Das Road, New Delhi
Mo. 9899989917 Email - tamtaadvocates@outlook.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 80/2025

IN THE MATTER OF:

BASANTI DEVI & ORS.
..............APPLICANT

VERSUS

PWD BHATWARI, UTTARKASHI & ORS
.... RESPONDENTS

REPORT ON BEHALF OF THE RESPONDENTS (DIVISIONAL FOREST OFFICER, UTTARKASHI FOREST DIVISION, UTTARKASHI)

I, D. P. Balooni, aged about 58 years, S/o Sh. M. P. Balooni, presently posted as Divisional Forest Officer, Uttarkashi Forest Division, Uttarkashi, do hereby state as under:

1. That the deponent is presently working as the Divisional Forest Officer, Uttarkashi Forest Division, Uttarkashi. The deponent is filing this affidavit/report in compliance with the Hon'ble Tribunal's order dated 19.09.2025 and is fully conversant with the facts of the case based on the records and the Joint Inspection Report.

S.No (80)

NOTARY Vimal Prasad Advocate & Notary Distt. Uttarkashi (Uttarakhand) Reg. No. ... Exp. Dt. ...-2027 GOVT. OF INDIA

NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL

17/12/25

2. That this Hon'ble Tribunal, after the course of the hearing on 19.09.2025, vide its order dated 09.09.2025 had passed the following directions:

> *"3. Having regard to the rival contention and also considering the plea of the Applicant, we deem it proper to appoint a joint Committee comprising of RO, MoEF & CC, Chandigarh and the DFO, Uttarkashi. The DFO, Uttarkashi will be the coordinating agency in the joint Committee. The joint Committee will visit the site, ascertain the number of trees which have been cut from the land of the Applicant, damage to the land, if any, caused by the Respondents and restoration plan along with the cost which may be incurred for the restoration of the land and submit the report before the Tribunal within eight weeks."*

3. That in compliance to the above directions, a joint inspection of the site in question was conducted on 01.11.2025 by the Joint Committee headed by Mrs. Neelima Shah (IFS), Assistant Inspector General of Forests (Central), MoEF, Government of India. The following officers, employees and complainant were present during the joint inspection.

NOTARY
Vimal Prasad Nautiyal
Advocate & Notary
Distt.-Uttarkashi (Uttarakhand)
Reg. No. 13413
Exp. Dt.: 10-10-2027
GOVT. OF INDIA

1. Smt. Neelima Shah, Assistant Inspector General of Forests (Central), Ministry of Environment, Forest and Climate Change / Regional Office, Dehradun.
2. Shri D.P. Baluni, Divisional Forest Officer, Uttarkashi Forest Division, Uttarkashi.
3. Smt. Rashmi Dhyani, Sub Divisional Forest Officer, Bhatwadi Sub Forest Division, Uttarkashi.
4. Shri Anil Kumar Assistant Engineer, Provincial Division, Public Works Department, Bhatwadi.

5. Shri Tikaram Nautiyal, Amen, Provincial Division, Public Works Department, Bhatwadi.
6. Shri Suresh Semwal, Tehsildar Bhatwadi.
7. Shri Mahavir Nautiyal, Deputy Revenue Inspector, Bhatwadi.
8. Shri Yashwant Chauhan, Forest Range Officer, Gangotri Range, Uttarkashi Forest Division.
9. Shri Rahul Panwar, Forest Inspector, Gangotri Range, Uttarkashi Forest Division.
10. Shri N.S. Negi, Revenue Inspector, Bhatwadi.

Villagers/Complainants of Village Mukhwa:

11. Mrs. Sunita Semwal.
12. Shri Uma Raman Semwal.
13. Mrs. Basanti Devi.
14. Mrs. Alpana Semwal.
15. Shri Abhinav Raman Semwal.
16. Shri Maya Prasad.
17. Shri Subodh Semwal.

NOTARY Vimal Prasad Nautiyal Advocate & Notary Distt.-Uttarkashi (Uttarakhand) Reg. No. 13413 Exp. Dt.: 10-10-2027 GOVT. OF INDIA

Copy of the joint inspection report dated 01.11.2025 is being annexed as **ANNEXURE-1.**

4. That as per the directions of this Hon'ble Tribunal, the said Committee inspected the site in question to ascertain the number of trees cut from the land of the applicant, in order to ascertain the damage (if any) caused to the land by the respondents, and to prepare a restoration plan including the

cost of restoration of the land. The construction of a parking lot by the Sub-Division, Public Works Department, Bhatwadi, Uttarkashi on the site in question (the applicant's private land) has caused damage to the applicant's private land and the apple orchard thereon.

5. That as per the site inspection done by the Public Works Department on 19.01.2025, the site where the parking has been constructed is a Nap land and belongs to the Revenue Department.

6. That in Khasra Nos. 1434, 1435, 1436, 1438, 1439, and 1440 a total of 42 trees of various species (Apple, Chullu, kharak, and walnut) have been affected. Of these, a total of 19 trees of various species have been affected in Khasra Nos. 1435, 1436, and 1438 of the applicant's land. This tree count was conducted by officers/employees of the Sub- Division, Public Works Department, Bhatwadi, Uttarkashi, and is not signed by any third party, nor has it been confirmed by the applicant. The applicant claims that 40 trees were damaged due to the construction of a parking lot on his private land. Independent confirmation of both figures was not available.

7. That the following observations were made by the Joint Committee-

- The land in question was said to have been acquired by the Public Works Department for the construction of a parking area, in which a concrete parking for vehicles is currently constructed.
- The entire surface of the site in question, which had terraced fields, has been levelled and paved with tiles, due to which there are no stumps or remains of fallen apple and other trees available for counting.
- Since the structure was of permanent nature, it was not possible to physically verify the actual number of affected trees.
- The Revenue Department has provided a detailed description of the area of the affected land, confirming the acquisition and the affected area

AFFECTED AREA:

According to the report of Revenue Department, the total area of the applicant's land affected by the parking construction is 0.031 Ha.

ESTIMATION OF DAMAGED TREES:

Currently, no physical evidence (stumps) is available at the site in question, so the number of damaged trees has been estimated based on the Horticulture Department's standard guidelines. According to these standards, 278 trees are planted per hectare to establish a garden species orchard. Thus, based on the affected area, the estimated number of trees = 0.031 × 278 = approximately 9 trees.

DIFFERENCE IN NUMBER OF TREES:

Since there was no such evidence available at the site, the estimation based on the Horticulture Department's standards appears to be balanced and technically sound. On the said basis, the calculation (19 trees) made by the Public Works Department officials can be confirmed.

NOTARY
Vimal Prasad Nautiyal
Advocate & Notary
Distt. Uttarkashi Uttarakhand
Reg. No. 13413
Exp. Dt: 10-2-2027
GOVT. OF INDIA

FINDINGS:

Based on the findings of the inspection, it is recommended that the affected land be restored at the same site where the parking area currently stands. The Sub-Division, Public Works

Department, Bhatwadi, should demolish the existing parking structure and restore the land to its original condition by removing concrete, debris, and fill material. The orchard should be replanted with apple trees of appropriate species under the technical guidance of the Horticulture Department as per detailed Restoration Plan prepared by Sub-Division Public Works Department, Bhatwadi. Copy of the said restoration Plan is annexed herewith as **ANNEXURE-2.**

8. That the deponent is a responsible Government servant having the highest regard for the Hon'ble Tribunal and orders passed by them. The deponent has always made his sincerest efforts to carry out the orders passed by this Hon'ble Tribunal in its letter and spirit and shall continue to do so in the future as well.

NOTARY GOVT. OF INDIA Vimal Prasad Nautiyal Advocate & Notary Distt.-Uttarkashi (Uttarakhand) Reg. No. 13413 Exp. Dt.: 10-11-2027

NEW DELHI

17/12/25

Vimal Prasad Nautiyal
Advocate & Notary
Reg.No.13413
Distt-Uttarkashi (Uttrakhand)

D. P. Balooni,
Divisional Forest Officer,
Uttarkashi Forest Division,
Uttarkashi

:: संयुक्त निरीक्षण आख्या ::

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन मूल आवेदन सं0–80/2025, शीर्षक बसन्ती देवी बनाम जिला मजिस्ट्रेट एवं अन्य में मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2025 के अनुसार गठित संयुक्त कमेटी द्वारा दिनांक 01.11.2025 को श्रीमती नीलिमा शाह (भा.व.से.), सहायक वन महानिरीक्षक (के0) की अध्यक्षता में प्रश्नगत स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के दौरान निम्न प्रकार से अधिकारी, कर्मचारी एवं शिकायतकर्ता उपस्थिति रहे।

1. श्रीमती नीलिमा शाह, सहायक वन महानिरीक्षक (के0),पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
2. श्री डी0पी0 बलूनी, प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
3. श्रीमती रश्मि ध्यानी, उप प्रभागीय वनाधिकारी, भटवाड़ी उप वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
4. श्री अनिल कुमार सहायक अभियान्ता, प्रान्तीय खण्ड,लोक निर्माण विभाग, भटवाडी।
5. श्री टीकाराम नौटियाल, आमीन, प्रान्तीय खण्ड,लोक निर्माण विभाग, भटवाडी।
6. श्री सुरेश सेमवाल, तहसीलदार भटवाड़ी।
7. श्री महावीर नौटियाल, उप राजस्व निरीक्षक, भटवाडी।
8. श्री यशवन्त चौहान, वन क्षेत्राधिकारी, गंगोत्री रेंज, उत्तरकाशी वन प्रभाग।
9. श्री राहुल पंवार, वन दरोगा, गंगोत्री रेंज,उत्तरकाशी वन प्रभाग।
10. श्री एन0एस0 नेगी, राजस्व निरीक्षक, भटवाडी।

ग्राम मुखवा के ग्रामीण/शिकायतकर्ता–

11. श्रीमती सुनीता सेमवाल।
12. श्री उमा रमन सेमवाल।
13. श्रीमती बसन्ती देवी।
14. श्रीमती अल्पना सेमवाल।
15. श्री अभिनव रमन सेमवाल।
16. श्री माया प्रसाद।
17. श्री सुबोध सेमवाल।

माननीय एन.जी.टी. के निर्देशों के अनुसार उक्त समिति द्वारा प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण, आवेदक की भूमि से काटे गये पेडो की संख्या, प्रतिवादियों द्वारा भूमि को हुए नुकसान (यदि कोई हो) का पता लगाने तथा भूमि की बहाली के लिए होने वाली लागत सहित पुनर्स्थापना (Restoration) योजना तैयार करने के उद्धेश्य से किया गया। प्रश्नगत स्थल (आवेदक की निजी भूमि) पर प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी, उत्तरकाशी द्वारा पार्किंग का निर्माण करने से आवेदक की निजी भूमि तथा उस पर लगे सेब के बगीचे का नुकसान हुआ है।

कमेटी द्वारा अभिलेखीय जांच करने पर यह पाया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 19.01.2025 को किये गये स्थलीय निरीक्षण के अनुसार जिस स्थल में पार्किंग का निर्माण किया गया है वह राजस्व विभाग के

अभिलेखों में नाप भूमि है तथा इसके खसरा सं0–1434, 1435, 1436, 1438, 1439 व 1440 में विभिन्न प्रजाति (सेब, चुल्लु, खड़क व अखरोट) के कुल 42 वृक्ष प्रभावित हुये हैं,जिसमें से आवेदक की भूमि के खसरा सं0–1435, 1436, 1438 में विभिन्न प्रजातिके कुल 19 वृक्ष प्रभावित हुये हैं। **(संलग्नक–1)** वृक्षों की यह गणना प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी, उत्तरकाशी के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा की गयी है जिसमें किसी द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर नहीं हैं और न ही आवेदकों द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। आवेदक द्वारा अपनी निजी भूमि में पार्किंग के निर्माण होने से 40 वृक्षों के क्षतिग्रस्त होने का दावा किया है। दोनों ही आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं थी।

निरीक्षण के दौरान अवलोकन :–

- प्रश्नगत भूमि लोक निर्माण विभाग द्वारा पार्किंग क्षेत्र के निर्माण हेतु अधिग्रहित की गई बतायी गयी, जिसमें वर्तमान में वाहनों हेतु पक्की पार्किंग निर्मित है।
- प्रश्नगत स्थल, जिसमें टेरेसनुमा खेत थे, की पूरी सतह को समतल कर पक्का बना दिया गया है, जिस पर टाईल्स लगे हुये हैं, जिस कारणपातित सेब व अन्य वृक्षों के ठूंठ या अवशेष उपलब्ध नहीं हैं जिनकी गणना की जा सके।
- संरचना स्थायी प्रकृति की होने के कारण प्रभावित वृक्षों की वास्तविक संख्या का भौतिक सत्यापन किया जाना संभव नहीं था।
- राजस्व विभाग द्वारा प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल विवरण उपलब्ध कराया गया है, जिससे अधिग्रहण एवं प्रभावित क्षेत्र की पुष्टि होती है। **(संलग्नक–2)**।

प्रभावित क्षेत्रः–

राजस्व विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, पार्किंग निर्माण से प्रभावित आवेदक की भूमि का कुल क्षेत्रफल0. 031 है0 है। राजस्व विभाग की रिपोर्ट संलग्नक–2 के रूप में संलग्न है।

क्षतिग्रस्त वृक्षों का अनुमानः–

वर्तमान में प्रश्नगत स्थल में कोई भौतिक साक्ष्य (ठूंठ) उपलब्ध नहीं है, अतः क्षतिग्रस्त वृक्षों की संख्या का अनुमान उद्यान विभाग के मानक दिशा–निर्देशों (Recommendation) **(संलग्नक–3)** के अनुसार लगाया गयाहै।इन मानकों के अनुसार उद्यान प्रजाति के बगीचे की स्थापना हेतु एक है0 में 268 वृक्षों का रोपण किया जाता है। इस प्रकार, प्रभावित क्षेत्र के आधार पर अनुमानित वृक्षों की संख्या = 0.031×278 =लगभग 9 वृक्ष आयेगी।

वृक्षों की संख्या में अंतरः–

स्रोत	रिपोर्ट की गई वृक्ष संख्या	सत्यापन स्थिति
लोक निर्माण विभाग	19	दावेदार या तृतीय पक्ष द्वारा सत्यापित नहीं
आवेदक का प्रतिवेदन	40	कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं
संयुक्त निरीक्षण	09	उद्यान विभाग के मानकघनत्व के अनुसार अनुमानित

चूंकि स्थल पर प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उद्यान विभाग के मानकों के आधार पर किया गया अनुमान संतुलित और तकनीकी दृष्टि से उचित प्रतीत होता है।इस आधार पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा की गयी गणना (19 वृक्ष) की पुष्टि की जा सकती है।

निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर यह अनुशंसा की जाती है कि प्रभावित भूमि का पुनर्स्थापना (Restoration) उसी स्थल पर किया जाए जहाँ वर्तमान में पार्किंग क्षेत्र निर्मित है। प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भटवाडी द्वारा वर्तमान पार्किंग संरचना को ध्वस्त किया जाए तथा कंक्रीट, मलबा और भराई सामग्री को हटाकर भूमि की मूल स्थिति बहाल की जाए तथा उसमें उपयुक्त प्रजाति के सेब के पौधों का, उद्यान विभाग के तकनीकि मार्गदर्शन में, पुनः रोपण कर बगीचे की पुनर्स्थापना की जाय।

निष्कर्षः—

संयुक्त निरीक्षण उपरान्त, गठित संयुक्त टीम की जांच—परिणाम (Findings)निम्नलिखित हैं—

- प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग भटवाड़ी द्वारा पार्किंग निर्माण से आवेदक की नाप भूमि एवं उसमें पुर्व से अवस्थित सेब का बगीचा पूर्णतः नष्ट हो गया है। प्रश्नगत स्थल पर वर्तमान में टाईल लगी हुई पार्किंग बनी है।
- प्रश्नगत स्थल में क्षतिग्रस्त वृक्षों का वास्तविक आकलन/सत्यापन संभव नहीं था, अतः उद्यान विभाग के मानकों के आधार पर लोक निर्माण विभाग द्वारा की गयी गणना को (19 वृक्ष) स्वीकार किया जा सकता है।
- प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग भटवाड़ी द्वारा द्वारा पार्किंग को ध्वस्त कर भूमि को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने तथा पुनः सेब का बगीचा स्थापित करने का कार्य उद्यान विभाग के मार्गदर्शन में करना होगा। भूमि की बहाली तथा उसमें सेब के बगीचे को लगाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग भटवाड़ी द्वारा, एक सप्ताह में, मुख्य उद्यान अधिकारी के निर्देशन में पुनर्स्थापना योजना (वित्तीय विवरण के साथ) बना कर मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा इस मामले में गठित संयुक्त कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

श्री डी.पी.बलोनी
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग।

श्रीमती नीलिमा शाह
सहायक वन महानिरीक्षक (के0)
एम.ओ.ई.एफ एवं सी.सी./क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।

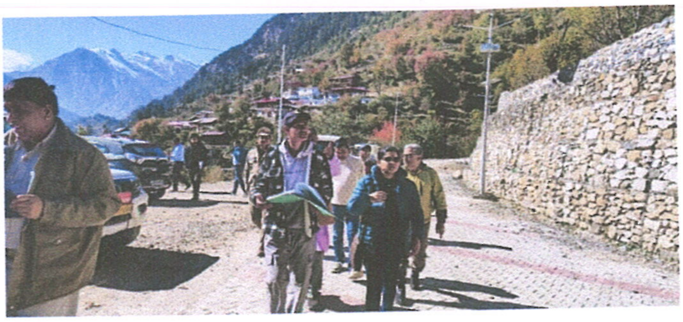

संलग्नक– 1/2 342

संयुक्त निरीक्षण आख्या

माननीय न्यायालय एन0जी0टी0 के समक्ष विचाराधीन मूल आवेदन सं0 80/2025 शीर्षक बसन्ती देवी बनाम जिला मजिस्ट्रेट एवं अन्य के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी के कार्यालय पत्र सं0 1379 29-(1) कोर्ट बंगला दिनांक 28/10/25 द्वारा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता को दिनांक 01.11.2025 को संयुक्त निरीक्षण में प्रतिभाग करने हेतु अवगत कराया गया, जिसमें वन विभाग, राजस्व विभाग एवं मा0 न्यायालय एन0जी0टी0. की ओर से आयी टीम तथा प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 भटवाड़ी विभाग द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 भटवाड़ी की ओर से सहायक अभियन्ता द्वितीय एंव अमीन द्वारा माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के दिनांक–06.03.2025 का हर्षिल–मुखवा में भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत मुखवा में पार्किंग निर्माण हेतु बसन्ती देवी पत्नी स्व0 श्री माला दत्त सेमवाल की अध्याप्त भूमि एवं वृक्षों का विवरण दिया गया, जो निम्नानुसार है–

खसरा सं0	कुल रक्बा	अध्याप्त रक्बा	वृक्षों की संख्या
1435	0.0034	0.010	7
1436	0.015	0.015	9
1438	0.0016	0.006	3
कुल– 03	0.006	0.031	19

अमीन
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी।

राजस्व उपनिरीक्षक
मुखवा/झाला
तह0–भटवाड़ी, उत्तरकाशी

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी।

स्थलीय निरीक्षण आख्या

मा0 प्रधानमंत्री भारत सरकार के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के विकासखण्ड भटवाड़ी में ग्राम मुखवा में पार्किंग निर्माण हेतु आज दिनांक 19.01.2025 जिलाधिकारी उत्तरकाशी के मौखिक आदेशानुसार हर्षिल मुखवा जांगला मोटरमार्ग के किमी0 5 में के0सै0 4/24 4/30 में वर्क एजेंट, अमीन, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिसमें सड़क साइड में 5 मी0 चौड़ाई में पार्किंग हेतु खेत नं0 1436,1435,1434,1438,1439,1440 में लगे फलदार वृक्षों की गिनती की गई,जिसका विवरण निम्न प्रकार है--

खसरा नं0	पेड़ का नाम	संख्या	उम्र
1436	सेब	4	20 वर्ष
	सेब	3	35 वर्ष
	चुल्लू	1	6 वर्ष
	खड़क	1	5 वर्ष
1435	सेब	5	8 वर्ष
	सेब	1	28 वर्ष
	सेब	1	6 वर्ष
1434	सेब	3	3 वर्ष
	सेब	5	5 वर्ष
	सेब	1	7 वर्ष
	सेब	1	40 वर्ष
	चुल्लू	1	40 वर्ष
1438	सेब	3	12 वर्ष
1439	अखरोट	1	24 वर्ष
1440	चुल्लू	4	40 वर्ष
	चुल्लू	1	6 वर्ष
	अखरोट	6	2 वर्ष

अमीन
न्तीय खंण्ड,लो0नि0वि0,
भटवाड़ी ।

कनिष्ठ अभियंता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
भटवाडी ।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
भटवाड़ी ।

संलग्नक-3

मुख्य उद्यान अधिकारी उत्तरकाशी।

☎🖷 - 01374 -222143 Email-dhouki2@gmail.com

पत्रांक– 1555 /विविध/ 2025–26 दिनांक 13 :नवम्बर 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग उत्तरकाशी।

विषयः– माननीय एन0जी0टी, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन मूल आवेदन संख्या–80/2025, शीर्षक बसन्ती देवी बनाम जिला मजिस्ट्रेट एवं अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त बिषयक आपके द्वारा दूरभाष से वार्ता के क्रम में हर्षिल घाटी में सेब सामान्य रोपण का मानक उपलब्ध कराने का अग्रह किया गया था, जिसके क्रम में आपको अवगत कराना है कि हर्षिल घाटी में निदेशक बागवानी मिशन के कार्यालय पत्र संख्या 488/HMNEH/कार्ययोजना/2025–26 दिनांक 03 जून 2025 के द्वारा विभागीय मानकों के अनुसार प्रति हेक्टेयर 278 सेब फल–पौध का रोपण किया जा सकता है।

अतः उक्त क्रम में विभागीय मानक संलग्न कर प्रेषित है।

(सलंग्नक– उपरोक्तानुसार)

भवदीय,

(डॉ0 रजनीश सिंह)
मुख्य उद्यान अधिकारी
उत्तरकाशी।

पत्रांक /तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, महोदय उत्तरकाशी की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
उत्तरकाशी

कार्यालय
निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान,
सर्किट हाउस, देहरादून उत्तराखण्ड

कार्यालय/फैक्स: 0135-2759799
ई-मेल hmnehuttarakhand@gmail.com
वैबसाईट: shm.uk.gov.in

पत्रांक 488/HMNEH/कार्ययोजना/2025–26 देहरादून: दिनांक 03 जून, 2025

समस्त मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी,
उद्यान विशेषज्ञ कोटद्वार,
उत्तराखण्ड।

विषयः एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) कार्ययोजना वर्ष 2025–26 की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के पत्रांक F.No.03/20/2025-KY(FTS)156499 दिनांक 05 मई, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसके माध्यम से संयुक्त सचिव MIDH भारत सरकार द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) कार्ययोजना वर्ष 2025–26 को क्रियान्वित किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी है, साथ ही निर्देशित किया गया है कि कार्ययोजना वर्ष 2025–26 को MIDH-SURAKSHA पोर्टल पर अपलोड करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। जिसके क्रम में कार्ययोजना के क्रियान्वयन निम्न शर्तों के साथ सहमति प्रदान की जाती है।

1. जनपद के कार्ययोजना को MIDH-SHURKHSA Peotal पर किया जाये।
2. क्षेत्रफल विस्तार कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उच्च गुणवत्तायुक्त पौधरोपण सामग्री का ही उपयोग किया जाये। जिसकी आपूर्ति राज्य के कृषि/औद्यानिक विश्वविद्यालय, कृषि अनुसंधान संस्थानों, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से मान्यता प्राप्त राजकीय एवं व्यक्तिगत पौधशाला से सुनिश्चित की जाये।
3. विभिन्न औद्यानिक फसलों के क्षेत्रफल विस्तार को सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम (PMKSY-Per Drop More crop) के साथ अनिवार्य रूप से लिंक किया जाये। इसके अतिरिक्त पूर्व में स्थापित बगीचों को भी सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से लिंक किया जाये, ताकि कम पानी से अधिक से अधिक क्षेत्र को सिंचित किया जा सके तथा उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके, साथ ही जल स्रोतों का सृजन घटक के अन्तर्गत स्वीकृत पोंड/ट्यूबवैल निमार्ण को सूक्ष्म प्रणाली के साथ जोड़ा जाये, जिससे पानी की उपयोगिता क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित की जा सकें।
4. कृषकों को पारदर्शिता एवं लाभान्वित करने हेतु तैयार पोर्टल (MIDH-SHURKHSA Peotal) के माध्यम से कास्तकारों का पंजीकरण कराते हुए लाभान्वित किया जाये।
5. प्रस्ताव आधारित कार्यक्रम यथा पौधशाला स्थापना, मशरूम इकाई, तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन/विपणन एवं प्रसंस्करण घटक के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकृति हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाये।
6. अन्य योजनाओं तथा (PMKSY-Per Drop More crop), परम्परागत कृषि विकास योजना, जलागम, मनरेगा, लघु सिंचाई, आई0फैड, जायका आदि के साथ ही चयनित क्लस्टरों मे गडढ़े खोदने, जल संरक्षण तथा जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु तार–बाढ़ की व्यवस्था की जाये।
7. जनपद में कृषकों के प्रशिक्षण हेतु कृषि विज्ञान केन्द्र, ATMA परियोजना तथा राज्य के कृषि/औद्यानिक विश्वविद्यालय एवं ICAR के संस्थानों का पूर्ण सहयोग लिया जाये। कार्ययोजना के सापेक्ष समस्त घटको के अन्तर्गत लाभान्वित कास्तकारों का विवरण मासिक प्रगति आख्या में आवश्यक रूप से अंकित किया जाये।
8. योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु औद्यानिक निवेशों की व्यवस्था के लिए अधिप्राप्ति कैलेण्डर (Procurement Calender) के अनुसार समयान्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

03/6/2025

कार्यालय/फैक्स 0136-2759799
ई-मेल hmnehuttarakhand@gmail.com
वेबसाईट shm.uk.gov.in

कार्यालय
निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान,
सर्किट हाउस, देहरादून उत्तराखण्ड

9. परियोजना आधारित प्रस्तावों/HMNEH योजना के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये, जिस हेतु विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर कार्यशाला एवं सेमीनार आयोजित करने के लिए विस्तृत समुचित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये।
10. निदेशक, बागवानी मिशन की अध्यक्षता में बागवानी मिशन की प्रगति की समीक्षा मासिक आधार पर आवश्यक रूप से की जायेगी। जिसमें समस्त मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी सम्बन्धित कार्मिकों एवं सूचना के साथ प्रतिभाग करना सुनिश्चित करेंगें।

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों व वित्तीय नियमों का पालन करते हुए अपने जनपद की वर्ष 2025-26 की कार्ययोजना के समस्त घटकों को MIDH-SURAKSHA पोर्टल के माध्यम से प्रथम चरण में आपको दिये जा रहे लक्ष्यों के सापेक्ष वर्षा कालीन फल पौध पूर्ण रूप से एवं अन्य घटकों में 25% लक्ष्यों की पूर्ति हेतु ही कार्यादेश निर्गत किये जाये एवं जब 25% पूर्ण हो जाये तब और लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अधोहस्ताक्षरी को प्रस्ताव उपलब्ध कराये ताकि बजट की उपलब्धता के अनुसार द्वितीय चरण के लक्ष्य आपको स्वीकृत किये जा सकेगें साथ ही भारत सरकार के पोर्टल पर सूचना अद्यतन किया जाये तथा कास्तकारों को नियमानुसार लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। प्रथम चरण किये लक्ष्यों के सापेक्ष 25% अधिक किये जाने की स्थिति में आप पूर्ण से जिम्मेदार होंगें।

(महेन्द्रपाल) 3/6/2025
निदेशक, बागवानी मिशन

पत्रांक 488 /उक्त दिनांकित
प्रतिलिपि-

1. महानिदेशक, कृषि एवं उद्यान उत्तराखण्ड की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्तजिलाधिकारी (अध्यक्ष, जिला स्तरीय स्टेरिंग कमेटी, बागवानी मिशन)
3. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत, अल्मोड़ा।
4. नोडल अधिकारी, PMKSY (PDMC)/परम्परागत कृषि विकास योजना।
5. संयुक्त निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. लेखा कक्ष, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून।
7. समस्त सम्बन्धित पटल सहायक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून।

3/6/2025
निदेशक, बागवानी मिशन

Mission on Integrated Development of Horticulture (MIDH)
Approved Annual Action Plan 2025-26
Uttarkashi

(Rs. in Lakh)

Sl. No.	Component	Unit	Rate of Assistance	AAP 2025-26															
				Physical target	GEN			Physical target	SCSP			Physical target	TSP			Physical target	Total		
					Financial Outlay				Financial Outlay				Financial Outlay				Financial Outlay		
					GoI Share	State Share	Total		GoI Share	State Share	Total		GoI Share	State Share	Total		GoI Share	State Share	Total
B.	PLANTATION INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT																		
B2.	Establishment of New Gardens (Area Expansion)																		
(i)	Cost Intensive Crops - Without drip irrigation (60:40)																		
c	Strawberry	Ha	0.600	5	2.700	0.300	3.000	3	1.620	0.180	1.800	0	0.000	0.000	0.000	8	4.320	0.480	4.800
	Total			5	2.700	0.300	3.000	3	1.620	0.180	1.800	0.000	0.000	0.000	0.000	8	4.320	0.480	4.800
(ii)	Niche Fruits - Without drip irrigation (60:40)																		
a	Aonla	Ha	0.225	6	1.215	0.135	1.350	3	0.608	0.068	0.675	1	0.203	0.023	0.225	10	2.025	0.225	2.250
	Total			6	1.215	0.135	1.350		0.608	0.068	0.675		0.203	0.023	0.225	10	2.025	0.225	2.250
(v)	Normal Spacing - Without drip irrigation (60:40)																		
a	Mango (10m x 10m - 100 plants)	Ha	0.375	10	3.375	0.375	3.750	6	2.025	0.225	2.250	1	0.338	0.038	0.375	17	5.738	0.638	6.375
c	Citrus (6m x 6m - 278 plants)	Ha	0.375	12	4.050	0.450	4.500	5	1.688	0.188	1.875	3	1.013	0.113	1.125	20	6.750	0.750	7.500
f	Pear (6m x 6m - 278 plants)	Ha	0.375	7	2.363	0.263	2.625	3	1.013	0.113	1.125	0	0.000	0.000	0.000	10	3.375	0.375	3.750
h	Apple (6m x 6m - 278 plants)	Ha	0.375	29	9.788	1.088	10.875	6	2.025	0.225	2.250	5	1.688	0.188	1.875	40	13.500	1.500	15.000
k	Plum (6m x 6m - 278 plants)	Ha	0.375	7	2.363	0.263	2.625	3	1.013	0.113	1.125	0	0.000	0.000	0.000	10	3.375	0.375	3.750
l	Peach (6m x 6m - 278 plants)	Ha	0.375	6	2.025	0.225	2.250	3	1.013	0.113	1.125	1	0.338	0.038	0.375	10	3.375	0.375	3.750
	Total			71	23.963	2.663	26.625	26.000	8.775	0.975	9.750	10.000	3.375	0.375	3.750	107	36.113	4.013	40.125
(vi)	HDP & Normal Plantation 2nd & 3rd year installment																		
c)	2nd year installment (ha) (HDP) (60:20:20)	Ha	0.100	10	0.900	0.100	1.000	5	0.450	0.050	0.500	2	0.180	0.020	0.200	17	1.530	0.170	1.700
c)	2nd year installment (ha) (Normal) (60:20:20)	Ha	0.060	30	1.620	0.180	1.800	15	0.810	0.090	0.900	10	0.540	0.060	0.600	[illegible]	2.970	0.330	3.300
e)	3rd year installment (ha) (HDP) (60:20:20)	Ha	0.100	15	1.350	0.150	1.500	10	0.900	0.100	1.000	5	0.450	0.050	0.500	30	2.700	0.300	3.000
f)	3rd year installment (ha) (Normal) (60:20:20)	Ha	0.060	25	1.350	0.150	1.500	10	0.540	0.060	0.600	5	0.270	0.030	0.300	40	2.160	0.240	2.400
	Total			80	5.220	0.580	5.800	40.000	2.700	0.300	3.000	22.000	1.440	0.160	1.600	142	9.360	1.040	10.400
(vii)	Vegetables (for a maximum area of 2 ha per beneficiary)																		
I	Hybrid																		
a	Tomato	Ha	0.300	15	4.050	0.450	4.500	3	0.810	0.090	0.900	2	0.540	0.060	0.600	20	5.400	0.600	6.000
b	Cabbage	Ha	0.300	15	4.050	0.450	4.500	3	0.810	0.090	0.900	2	0.540	0.060	0.600	20	5.400	0.600	6.000
c	Cauliflower	Ha	0.300	15	4.050	0.450	4.500	3	0.810	0.090	0.900	2	0.540	0.060	0.600	20	5.400	0.600	6.000
d	Capsicum	Ha	0.300	15	4.050	0.450	4.500	3	0.810	0.090	0.900	2	0.540	0.060	0.600	20	5.400	0.600	6.000
e	Brinjal	Ha	0.300	4	1.080	0.120	1.200	0	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.000	4	1.080	0.120	1.200
f	Bitter Gourd (Karela)	Ha	0.300	4	1.080	0.120	1.200	0	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.000	4	1.080	0.120	1.200
g	Bottle Gourd (Louki)	Ha	0.300	4	1.080	0.120	1.200	0	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.000	4	1.080	0.120	1.200
	Total			72	19.440	2.160	21.600	12	3.240	0.360	3.600	8	2.160	0.240	2.400	92	24.84	2.76	27.60
(ix)	Flowers (for a maximum area of 2 ha per beneficiary)																		
b	Bulbous flowers - Gladiolus, Lilium, Gerbera	Ha	1.250	11	12.375	1.375	13.750	3	3.375	0.375	3.750	0	0.000	0.000	0.000	14	15.750	1.750	17.500
c	Loose flowers - Marigold	Ha	0.250	15	3.375	0.375	3.750	4	[illegible]	0.100	1.000	1	0.225	0.025	0.250	20	4.500	0.500	5.000
	Total			26	15.750	1.750	17.500	7.000	4.275	0.475	4.750	1.000	0.225	0.025	0.250	34	20.250	2.250	22.500

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION P.W.D,
BHATWARI(UTTARKASHI) PIN- 249135
E-Mail:- eepwdbhatwari@rediffmail.com

उत्तराखण्ड सरकार

पत्रांक–1590 / कोर्ट केस दिनांक–28 / 11 / 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग,
उत्तरकाशी।

विषयः– मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन मूल आवेदन सं0–80 / 2025, शीर्षक बसन्ती देवी बनाम जिला मजिस्ट्रेट एवं अन्य में मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक–19.09.2025 के अनुसार गठित संयुक्त कमेटी के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–1601 / 12–1, कोटबंगला, दिनांक–14.10.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक–19.09.2025 के अनुसार गठित संयुक्त कमेटी द्वारा दिनांक–01.11.2025 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस सम्बन्ध में संयुक्त कमेटी की जांच आख्या भी उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें उनके द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार पार्किंग को ध्वस्त कर भूमि को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने तथा पुनः सेब का बगीचा स्थापित करने हेतु मुख्य उद्यान अधिकारी के निर्देशन में पुनर्स्थापना योजना (वित्तीय विवरण के साथ) बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अनुपालन में मुख्य उद्यान अधिकारी के निर्देशन में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा पुनर्स्थापना योजना (वित्तीय विवरण के साथ) तैयार कर आपको अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

अतः सादर प्रेषित।

संलग्नः–पुनर्स्थापना योजना (वित्तीय विवरण के साथ)(20 पृष्ठ)

28/11/2025
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी।

प्रतिलिपिः–जिलाधिकारी महोदय, उत्तरकाशी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियन्ता, 6वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः–सहायक अभियन्ता द्वितीय, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, भटवाड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी।

Restoration Plan

for

Apple Orchard

at

Village Mukhwa, District Uttarkashi

(Uttarakhand)

(2)

INDEX

Sr. No.	Particulars	Page No.
1.	Title Page	1
2.	Index	2
3.	Report	3
4.	Reference Letter	4-16
5.	A- Cost Estimation of Construction of protection wall, Boundary wall, Access path to orchard and Filling of Earth	17-18
6.	B- Cost Estimation of Re-plantation of 19 Apple trees	19
7.	Abstract of Cost	20

Report

Hon'ble National Green Tribunal vide it's interim order dated 19.09.2025 in the OA No. 80/2025, Basanti Devi and Others V/s State of Uttarakhand through District Magistrate and others, made a committee for inspection of the subject parking and orchard in Mukhwa village of district Uttarkashi (Uttarakhand) to assess the damage done to the orchard. The committee visited the site on 01.11.2025, thoroughly inspected the Parking and orchard and directed to make a restoration plan for the orchard. In compliance to the above the restoration plan is made in which following work will be done by PWD Bhatwari in the direction of Chief Horticulture officer Uttarkashi.

- Construction of protection wall.
- Construction of Boundary wall.
- Construction of Access path to orchard.
- Filling of Earth.
- Re-plantation of 19 apple trees (as Suggested by the committee).

The rates for construction work is taken from central SOR (Schedule of rates dated 24.08.2024) of PWD Uttarakhand currently applicable in this area while for plantation work the rates are as per sanctioned rate vide Government order no. 1/156716/XII-3/23/10(10)/2023 dated 25.09.2023 of Horticulture department of Uttarakhand.

Hence the Restoration Plan for the cost of Rs. **8,03,114.00** is presented for further directions.

28/11/2025
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
उत्तरकाशी

④ 352

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक— 1601 /12—1, कोटबंगला, दिनांक 14 / 10 / 2025

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण, विभाग,
भटवाडी।

विषय :— **मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन मूल आवेदन सं0—80 / 2025, शीर्षक बसन्ती देवी बनाम जिला मजिस्ट्रेट एवं अन्य में मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक— 1909.2025 के अनुसार गठित संयुक्त कमेटी के संबंध में।**

सन्दर्भ :— **दिनांक— 01.11.2025 को श्रीमती नीलिमा शाह (भा.व.से.), सहायक वन महानिरीक्षक (के0) की अध्यक्षता में प्रश्नगत स्थल का संयुक्त निरीक्षण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक— 01.11.2025 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसकी रिपोर्ट आपके अवलोकनार्थ संलग्न की जा रही है। **(प्रति संलग्न)**

उक्त संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में संयुक्त कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भटवाडी द्वारा पार्किंग को ध्वस्त कर भूमि को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने तथा पुनः सेब का बगीचा स्थापित करने हेतु मुख्य उद्यान अधिकारी के निर्देशन में पुर्नस्थापना योजना (वित्तीय विवरण के साथ) बनाकर एक सप्ताह के भीतर समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार संयुक्त टीम द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार मुख्य उद्यान अधिकारी के निर्देशन में पुर्नस्थापना योजना (वित्तीय विवरण के साथ) 03 दिवस के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि आपके द्वारा तैयार की गई पुर्नस्थापना योजना को संयुक्त टीम के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। कृपया इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करने का कष्ट करें। इसमें आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डी0पी0 बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

C:\Users\dell\Downloads\Letter(2).docx

(5)

मुख्य उद्यान अधिकारी उत्तरकाशी।

☎🖷 - 01374 -222143 Email-dhouki2@gmail.com

पत्रांक– 1639/विविध/2025–26 दिनांक: 22 नवम्बर 2025

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
भटवाड़ी।

विषयः– **मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन मूल आवेदन सं0–80/2025, शीर्षक बसन्ती देवी बनाम जिला मजिस्ट्रेट एवं अन्य में मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक–1909. 2025 के अनुसार गठित संयुक्त कमेटी के संबध में।**

सन्दर्भः– **दिनांक– 01.11.2025 को श्रीमती नीलिमा शाह (भा.व.से.), सहायक वन महानिरीक्षक (के0) की अध्यक्षता में प्रश्नगत स्थल का संयुक्त निरीक्षण।**

महोदय

उपरोक्त विषयक आपसे दूरभाष पर हुयी वार्ता के क्रम में पुनः सेब का बगीचा स्थापित करने हेतु पुर्नस्थापना योजना (वित्तीय विवरण) के संबध में संयुक्त निरीक्षण आख्या निष्कर्ष के बिन्दु 02 में उल्लेखित किया गया है कि **" प्रश्नगत स्थल में क्षतिग्रस्त वृक्षों का वास्तविक आकलन/सत्यापन संभव नही था, अतः उद्यान विभाग के मानकों के आधार पर लोक निर्माण विभाग द्वारा की गयी गणना को (19 वृक्ष) स्वीकार किया जा सकता है"**। उक्त निष्कर्ष के क्रम में सीडलिंग आधारित सेब के सघन बागानों की स्थापना हेतु मानकानुसार कार्य किया जाना उचित प्रतीत होता है। सुलभ सन्दर्भ हेतु कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या 1/156716/XII-3/23/10(10)/2023 दिनांक 25 सितम्बर 2023 में सेब की अति सघन बागवानी योजना (राज्य सेक्टर) के मानक/विशिष्टियां/दरे एवं शर्ते संलग्न कर प्रेषित है। **(शासनादेश संलग्न)**

अतः उक्त शासनादेश के बिन्दु "ग" में सीडलिंग आधारित सेब के सघन बागानों की स्थापना हेतु मानकानुसार लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ0रजनीश सिंह)
मुख्य उद्यान अधिकारी,
उत्तरकाशी।

पत्रांक– /उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
उत्तरकाशी।

संख्या–1/156716 /XIII-3/23/10(10)/2023

प्रेषक,

दीपेन्द्र कुमार चौधरी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–3 देहरादून: दिनांक: 25 सितम्बर, 2023

विषय: सेब की अति सघन बागवानी योजना (राज्य सेक्टर) के मानक/विशिष्टियां/दरें एवं शर्ते निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–1194/सेब नीति/2023–24, दिनांक 18.08.2023 के सन्दर्भ में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मिशन एप्पल योजना हेतु मानक सम्बन्धी पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–I/89243/2023/18(09)/2021, दिनांक 06.01.2023 को अवक्रमित करते हुये सेब की अति सघन बागवानी योजना (राज्य सेक्टर) हेतु M–9, MM–111, सीडलिंग आधारित सघन उद्यान स्थापित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड सशक्त टीम एवं वैज्ञानिकों द्वारा दिये गये सुझाव अनुसार निम्नलिखित मानक/ विशिष्टियां/दरें एवं शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– <u>योजनान्तर्गत लक्ष्य व देय राजसहायता का विवरण</u>:– नवीन योजना के अन्तर्गत कृषकों को 60 प्रतिशत अनुदान पर नवीनतम प्रजातियों की सेब की अति सघन बागान रूट स्टाक: एम0–9, एम0एम0–111, सीडलिंग एवं अन्य क्लोनल रूटस्टॉक आधारित बागान स्थापित किये जायेंगे।

2– <u>बागान स्थापना हेतु प्रस्तावित लागत</u>:– प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत सेब की अति सघन बागवानी हेतु एम–9 आधारित अति सघन उद्यान (कुल पौधों की संख्या–900 प्रति एकड़ (पौधो की दूरी 2.25 मी0 X2 मी0) जिसकी कुल लागत रू0 12,36,500/– प्रति एकड़ है। एमएम–111 आधारित अति सघन उद्यान (कुल पौधों की संख्या–540 प्रति एकड़ (पौधो की दूरी 3 मी0 X 2.5 मी0) जिसकी कुल लागत रू0 7,86,000/– प्रति एकड़ तथा सीडलिंग आधारित सघन उद्यान (कुल पौधों की संख्या–440 प्रति एकड़ (पौधो की दूरी 3 मी0 X 3 मी0) जिसकी कुल लागत रू0 3,34,000/– प्रति एकड़ होगी, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत् है:–

क:– एम–9 क्लोनल रूट स्टाक आधारित सेब के अति सघन बागानों की स्थापना हेतु मानक:–

क्र. सं.	कार्य विवरण	लागत प्रति एकड (रू0 में)
1	Land Preparation/development	40,000
2	Pit Digging & filling (2x2x2 ft.)	60,000
3	Cost of Planting Material (@Rs 300 per plant) (Total Plants-900) (Spacing 2.25mX2.00 m) (3-5 feathers)	2,70,000

ited from eOffice by KALAM SINGH CHAUHAN, SO-AGRI-3-KSC, SECTION OFFICER, Agriculture and Farmers Welfare Department on 25/09/2023 12 02 PI

		45,000
4	Compost and water soluble Fertilizers (20:20:20)	5,000
5	Plant Protection Chemicals	3,52,000
6	Trellis with Installation	47,500
7	Micro-irrigation with Installation	1,80,000
8	Anti-Hail Net with Installation	45,000
9	Mulching Mat 100 GSM	1,92,000
10	Angle iron supported barbed wire fencing with 5 wire horizontal, 2 wire diagonally, angel iron 7 ft in height, 5.5 ft above ground and 1.5 ft below ground	
	Total Cost	12,36,500

ख:–एमएम–111 क्लोनल रूट स्टाक आधारित सेब के अति सघन बागानों की स्थापना हेतु मानक:–

क्र.सं.	कार्य विवरण	लागत प्रति एकड़ (रू0 में)
		40,000
1	Land Preparation/development	35,000
2	Pit Digging and filling (2.5x2.5x2.5 ft.)	1,62,000
3	Cost of Planting Material (@Rs 300 per plant) (Plants- 540) (3.00mX2.50m) (3-5 feathers)	
		7,000
4	Compost and water soluble Fertilizers (20:20:20)	5,000
5	Plant Protection Chemicals	30,000
6	Micro-irrigation with Installation	27,0000
7	Anti-Hail Net and GI Poles with Installation	45,000
8	Mulching Mat 100 GSM	1,92,000
9	Angle iron supported barbed wire fencing with 5 wire horizontal, 2 wire diagonally, angel iron 7 ft in height, 5.5 ft above ground and 1.5 ft below ground	
	Total Cost	7,86,000

ग:– सीडलिंग आधारित सेब के सघन बागानों की स्थापना हेतु मानक:–

क्र.सं.	कार्य विवरण	लागत प्रति एकड़ (रू0 में)
1	Land Preparation	10,000
2	Pit Digging and filling (3x3x3 ft.)	30,000
3	Cost of Planting Material (@Rs 150 per plant) (Plants-440) (Spacing 3mX3m) (3-5 feathers)	66,000
4	Compost and Fertilizers	4,000
5	Plant Protection Chemicals	2,000
6	Micro-irrigation with Installation	30,000
7	Angle iron supported barbed wire fencing with 5 wire horizontal, 2 wire diagonally, angel iron 7 ft in height, 5.5 ft above ground and 1.5 ft below ground	1,92,000
	Total Cost	3,34,000

3– <u>भौतिक लक्ष्य</u>– योजनान्तर्गत 08 वर्षो में 5000 है0 में सेब के अति सघन एवं सीडलिंग आधारित बागान स्थापित किये जायेंगे।

4– <u>अनुदान</u>– राज्य सरकार द्वारा कृषकों को 60 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।

5– <u>बागान स्थापना हेतु भूमि की आवश्यकता:</u>–योजनान्तर्गत सेब के अति सघन एवं

:ed from eOffice by KALAM SINGH CHAUHAN, SO-AGRI-3-KSC, SECTION OFFICER, Agriculture and Farmers Welfare Department on 25/09/2023 12:02

सीडलिंग आधारित बागान स्थापित करने हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 02 नाली (0.04 हैक्टेयर) से अधिकतम 100 नाली (02 हैक्टेयर) प्रति लाभार्थी/समूह आदि को देय होगा। राजसहायता की गणना आवेदक द्वारा स्थापित अति सघन सेब बागानों एवं सीडलिंग के आधार पर अनुपातिक आधार (Prorata base) पर की जायेगी।

6– <u>क्रियान्वयन की प्रक्रिया</u>:–

<u>अति सघन बागवानी हेतु फर्म एवं संस्था का चयन</u>:–

1. लाभार्थियों के प्रक्षेत्र पर सेब की अति सघन बागवानी हेतु बागानों को विकसित करने हेतु उद्यान विभाग द्वारा अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EoI) न्यूनतम दर दाता के आधार पर सूचीबद्ध फर्म/संस्था से बागान स्थापित कराना होगा, उक्त दरों पर अन्य फर्म/संस्था जिनके द्वारा EoI में प्रतिभाग किया गया हो, को भी बागान स्थापना हेतु विभाग द्वारा सूचीबद्ध की जा सकती है।
2. फर्म/संस्था का चयन हेतु आवेदन वार्षिक आधार पर विभाग द्वारा 01 दिसम्बर से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञप्ति जारी कर की जायेगी। विभाग नई फर्म/संस्था के चयन हेतु प्रतिवर्ष उपरोक्त अवधि में पंजीकरण कर सकता है। प्रथम वर्ष में इस समय सीमा में छूट प्रदान की जायेगी।
3. चयनित फर्म/संस्था का पंजीकरण तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, तदोपरान्त पुनः पंजीकरण हेतु आवेदन की आवश्यकता होगी। यदि कृषक/समूह, सूचीबद्ध फर्मों/संस्थाओं में से किसी से भी कार्य कराने का इच्छुक न हो, तो वह स्वयं भी बागान स्थापित कर सकता है।
4. प्रस्तावित योजना के तहत क्षेत्र विशेष की मिट्टी, जलवायु, पानी की उपलब्धता आदि कारकों के आधार पर सेब की प्रजाति का चयन किया जायेगा। इस हेतु आवश्यक व्यवस्थायें कर ली जायेगी।
5. योजना से प्राप्त लाभों का Mid Term Review विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा, जिससे योजना की उपादेयता/लक्ष्यों की प्राप्ति का समुचित मूल्यांकन हो सके।
6. जिन पौधों को राज्य के बाहर से लाया जायेगा, उनके क्वारंटीन की समुचित व्यवस्था/प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।
7. लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता तथा योजना के क्रियान्वयन का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही लाभार्थियों से योजना के सम्बन्ध में समय–समय पर Feedback भी लिया जायेगा।

7– <u>राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति</u>:– योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति का गठन अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में एवं जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति का गठन सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा। साथ ही राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट निदेशालय स्तर पर गठित की जायेगी, जो निम्नवत् होंगी–

(1) राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति–

1. अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन– अध्यक्ष

ted from eOffice by KALAM SINGH CHAUHAN, SO-AGRI-3-KSC, SECTION OFFICER, Agriculture and Farmers Welfare Department on 25/09/2023 12:02 PI

2. प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन— सदस्य
3. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन— सदस्य
4. सचिव, सहकारिता, उत्तराखण्ड शासन— सदस्य
5. महानिदेशक, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड— सदस्य
6. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड— सदस्य सचिव
7. महाप्रबन्धक, नाबार्ड, उत्तराखण्ड, देहरादून अथवा नामित प्रतिनिधि— सदस्य
8. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक अथवा नामित प्रतिनिधि— सदस्य
9. वैज्ञानिक, प्रभारी, भा0कृ0अ0सं0—केन्द्रीय शीतोष्ण उद्यान संस्थान, मुक्तेश्वर— सदस्य
10. उत्तराखण्ड राज्य के प्रगतिशील सेब कृषक/उद्यान पण्डित (02)— सदस्य

(2) जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति—

1. जिलाधिकारी— अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी— उपाध्यक्ष
3. मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी— सदस्य सचिव
4. सहायक निबन्धक, सहकारिता— सदस्य
5. प्रतिनिधि नाबार्ड— सदस्य
6. उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक अथवा जिला सहकारी बैंक द्वारा नामित— प्रतिनिधि सदस्य
7. सम्बन्धित उद्यान सचल दल केन्द्र का प्रभारी— सदस्य
8. जनपद के प्रगतिशील सेब कृषक/उद्यान पण्डित (02)— सदस्य

(3) राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (SPMU)

1. निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड।
2. संयुक्त निदेशक, नर्सरी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित उपनिदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. तकनीकी कार्मिक (निदेशालय स्तर)।
5. कम्प्यूटर ऑपरेटर।

8— <u>कार्यान्वयन एवं सब्सिडी संवितरण</u>:—

<u>संयुक्त स्थलीय निरीक्षण एवं राजसहायता का भुगतान</u>:— कृषकों/समूहों आदि को राजसहायता का भुगतान संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर किया जायेगा। संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दल निम्न प्रकार होगा:—

1. मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी।
2. सम्बन्धित बैंक के प्रतिनिधि।
3. बागान स्थापना करने वाली फर्म/संस्था का प्रतिनिधि।
4. सम्बन्धित कृषक।
5. सम्बन्धित उद्यान सचल दल केन्द्र के प्रभारी।

ted from eOffice by KALAM SINGH CHAUHAN, SO-AGRI-3-KSC, SECTION OFFICER, Agriculture and Farmers Welfare Department on 25/08/2023 12:02 PI

कृषक प्रक्षेत्र पर सेब का बागान स्थापित किये जाने के उपरान्त कार्यदायी/ चयनित फर्म/संस्था द्वारा सम्बन्धित मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी को स्थलीय निरीक्षण हेतु पत्र प्रेषित करना होगा। जनपदीय अधिकारी को पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण दल अपनी आख्या निरीक्षण के 05 दिन के अन्दर लाभार्थी एवं आवेदनकर्ता के बैंक को प्रेषित करेगा। संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दल की संतोषजनक आख्या के आधार पर बैंक द्वारा कार्यदायी/चयनित संस्था/फर्म को 10 दिन के अन्दर अनुदान की धनराशि अवमुक्त करनी होगी।

1. प्रथम संयुक्त स्थलीय निरीक्षण पौधरोपण, ट्रैलिस, सूक्ष्म सिंचाई एवं एंटी-हैलनेट आदि की स्थापना के उपरान्त किया जायेगा। प्रथम संयुक्त स्थलीय निरीक्षण के सफल होने के उपरान्त अनुदान के 40 प्रतिशत की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित फर्म/संस्था को किया जायेगा।
2. द्वितीय संयुक्त स्थलीय निरीक्षण (माह सितम्बर-अक्टूबर) में रोपित फल-पौधों की 90 प्रतिशत जीवितता पाये जाने पर अनुदान के 35 प्रतिशत धनराशि का भुगतान सम्बन्धित फर्म/संस्था को किया जायेगा।
3. तृतीय संयुक्त स्थलीय निरीक्षण सेब के बागान में कम से कम 90 प्रतिशत पौधों पर रोपित प्रजाति के मानकानुसार फल की गुणवत्ता एवं मात्रा को सुनिश्चित करने हेतु किया जायेगा। इसके सफल होने पर प्रस्तावित अनुदान की अवशेष 25 प्रतिशत धनराशि का भुगतान सम्बन्धित फर्म/संस्था को किया जायेगा।

9– <u>योजना के प्रभाव का मूल्यांकन</u>:– योजना का मूल्यांकन विभाग द्वारा गठित समिति के माध्यम से प्रथम मूल्यांकन तीसरे वर्ष, द्वितीय मूल्यांकन पांचवे वर्ष एवं तृतीय मूल्यांकन सातवें वर्ष में किया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन उपरान्त कृषकों की आर्थिकी पर पड़ने वाले प्रभाव, योजना के "प्रदर्शन मूल्यांकन (Performance Evaluation) राज्य के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालयों/भारत सरकार के राज्य में स्थित कृषि संस्थानों/कृषि विज्ञान केन्द्रों आदि के माध्यम से कराया जायेगा। मूल्यांकन के सकारात्मक प्रभाव की स्थिति में योजना का क्रियान्वयन आगामी वर्षो हेतु किया जायेगा"। योजना में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम स्तर का अनुमोदन उपरान्त संशोधित योजना आगे क्रियान्वित की जायेगी।

10– योजना के क्रियान्वयन में कोई विधिक कठिनाईयों एवं योजना में आंशिक संशोधन हेतु सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन को अधिकृत किया जाता है।

11– योजनान्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर एक या दो प्रगतिशील कृषकों के प्रक्षेत्र पर मॉडल के रूप में आधा एकड़ या उससे कम क्षेत्रफल पर बगीचा स्थापित कर क्षेत्र के कास्तकारों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

12–**प्रशिक्षण/भ्रमण**:– सेब की अति सघन बागवानी से सम्बन्धित नवीनतम तकनीकियों का कृषकों/ विभागीय कार्मिकों को प्रशिक्षण/भ्रमण आदि कराया जायेगा। साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त कृषकों को बागान स्थापना हेतु वरीयता दी जायेगी।

ted from eOffice by KALAM SINGH CHAUHAN, SO-AGRI-3-KSC, SECTION OFFICER, Agriculture and Farmers Welfare Department on 25/09/2023 12:02 PI

13—**योजना के लाभः—**

- राज्य में सेब के उत्पादन एवं उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि।
- सेब की अति सघन बागवानी से लगभग 25 मै0टन/है0 उत्पादकता प्राप्त होगी।
- पर्याप्त गुणवत्तायुक्त उत्पादन से कृषकों को अच्छा मूल्य प्राप्त होने से उनकी आय में वृद्धि।
- योजनान्तर्गत प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 45,000 से 50,000 रोजगार सृजन होंगे।
- राज्य में सेब का वर्तमान व्यवसाय लगभग रू0 200.00 करोड़ है। आगामी 08 वर्षों में सेब की अति सघन बागवानी के माध्यम से इस व्यवसाय को बढ़ाकर रू0 2000.00 करोड़ किये जाने का लक्ष्य है।
- राज्य में स्थापित सेब आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कच्चे माल की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सकेगी।
- पर्वतीय क्षेत्रों से स्वरोजगार विकसित होने से पलायन में कमी आयेगी।
- राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) की वृद्धि में सहयोग।

14—**योजना की अवधिः**— योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2023—24 से 2030—31 तक किया जायेगा।

15—योजना के क्रियान्वयन हेतु आवेदन प्रक्रिया, वर्षवार लक्ष्य, विभिन्न हितधारकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व आदि पृथक से जारी किये जायेंगे।

16—**वित्तीय व्यवस्थाः**— योजनान्तर्गत कुल अनुदान रू0 732.58 करोड़ एवं अन्य सम्बद्ध लागत रू0 76.21 करोड़ से प्रशासनिक एवं प्रशिक्षण आदि पर व्यय किया जायेगा। इस प्रकार 08 वर्षो में कुल रू0 808.79 करोड़ व्यय किया जाना प्रस्तावित है। योजना के बजट की व्यवस्था वर्तमान राज्य सेक्टर के अन्तर्गत संचालित मिशन एप्पल योजना से की जायेगी, जिस हेतु वित्तीय वर्ष 2023—24 में मिशन एप्पल योजनान्तर्गत रू0 35.00 करोड का बजट प्राविधान है।

यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अ0शा0पत्र संख्या—I/155624/XXVII(IV)/2023, दिनांक 20 सितम्बर, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Deependra Kumar Chaudhari
Date: 25-09-2023 10:56:21

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख निजी सचिव—मा0 कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव—मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

ted from eOffice by KALAM SINGH CHAUHAN, SO-AGRI-3-KSC, SECTION OFFICER, Agriculture and Farmers Welfare Department on 25/09/2023 12:02 P

5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक, कृषि एवं उद्यान, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी, उत्तराखण्ड/उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार।
9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. अनुभाग अधिकारी, कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Mahima Raunkaly
Date: 25-09-2023 11:36:36
(महिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव।

13

प्रेषक,

महिमा रौंकली,
सयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या-I/281867/XIII-3/25/10(10)/2023

CHO

अपर निदेशक/अधिकारी
17/3/25

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग-3, देहरादून, दिनांक: 11 ~~फरवरी~~ मार्च 2025।

विषयः सेब की अति सघन बागवानी योजना (राज्य सेक्टर) के सम्बन्ध में।

2177
21/03/2025

महोदया,

कृपया, उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-207/सेब की अति सघन बागवानी योजना/2024-25, दिनांक 23 नवम्बर, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सेब की अति सघन बागवानी योजना (राज्य सेक्टर) हेतु पूर्व निर्गत संशोधित शासनादेश दिनांक 07.02.2024 में अंकित अनुदान में आंशिक संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. अतः इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक: 07.02.2024 के बिन्दु संख्या-8 के उपबिन्दु संख्या:-1, 2 एवं 3 (कार्यान्वयन एवं सब्सिडी संवितरण) में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

CHO
17/03/2025

क्र0सं0	शासनादेश	विद्यमान प्राविधान	प्रस्तावित प्राविधान
1.	शासनादेश संख्या:-188350/XIII-3/24/10(10)/2023, दिनांक: 07.02.2024 (प्रथम संशोधन) [शासनादेश संख्या: 1/156716/XIII-3/23/10(10), दिनांक: 25 सितम्बर, 2023 के बिन्दु संख्या:- 8 (कार्यान्वयन एवं सब्सिडी संवितरण) के बिन्दु संख्या:- 1 के उप बिन्दु-1, 2 एवं 3 (द्वितीय संशोधन)] उपरोक्त शासनादेशों के अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे।	बिन्दु संख्या-2 : 1. प्रथम संयुक्त स्थलीय निरीक्षण : पौध रोपण, ट्रेलिस सूक्ष्म सिंचाई एवं एन्टी हेलनेट आदि की स्थापना उपरान्त किया जायेगा। प्रथम संयुक्त स्थलीय निरीक्षण सफल होने के उपरान्त परियोजना की कुल लागत का 40 प्रतिशत का भुगतान बागान स्थापित करने वाली फर्म को तथा कृषक द्वारा स्वयं बागान स्थापित करने की दशा में अनुदान का 40 प्रतिशत भुगतान कृषक को किया जाएगा।	बिन्दु संख्या-2 : 1. प्रथम संयुक्त स्थलीय निरीक्षण i. सेब के अति सघन बागान स्थापना हेतु इन्फारट्रक्चर डेवलपमेंट (Land Preparation/ development, Pit Digging and Filling, Compost and Water Soluble Fertilizers, Plant Protection Chemicals, Trellis with Installation, Micro-Irrigation with Installation, Anti-Hail Net with Installation, Mulching Mat, Angle Iron Supported Barbed Wire Fencing etc) से सम्बन्धित कार्यों के पूर्ण होने उपरान्त, भुगतान हेतु संयुक्त स्थलीय निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। तथा समिति की संस्तुति के पश्चात इन्फारट्रक्चर डेवलपमेन्ट करने वाली फर्म को प्रथम वर्ष में ही

Welfare Department (Computer No. 51878)

		2. <u>द्वितीय संयुक्त स्थलीय निरीक्षण</u>: माह सितम्बर–अक्टूबर मे रोपित	अनुदान राशि (राज सहायता अंश) का 90 प्रतिशत एवं कृषक अंश की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान किया जायेगा अथवा यदि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट से सम्बन्धित कार्य कृषक द्वारा स्वय किया जाता है, तो अनुदान राशि का 90 प्रतिशत भुगतान कृषक को किया जाएगा। अनुदान राशि के अवशेष 10 प्रतिशत का भुगतान तृतीय संयुक्त स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त, समिति की संस्तुति पर सम्बन्धित को किया जायेगा। ii. फल पौध रोपण सामग्री पर अनुदान राशि का भुगतान बागान स्थापना वर्ष (प्रथम वर्ष) में 70 प्रतिशत देय होगा। यदि कृषक द्वारा फल पौध रोपण सामग्री स्वय से क्रय की जाती है, तो अनुदान राशि का भुगतान कृषक को अथवा यदि पौध रोपण सामग्री का आवंटन निदेशालय द्वारा प्राप्त होता है, तो अनुदान राशि का भुगतान संबन्धित पौधशाला स्वामी को किया जाएगा। 2.<u>द्वितीय संयुक्त स्थलीय निरीक्षण</u> : द्वितीय वर्ष, माह सितम्बर–अक्टूबर में रोपित फल पौधों की 90 प्रतिशत जीवितता सुनिश्चित करने हेतु द्वितीय संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा। संयुक्त स्थलीय निरीक्षण के उपरांत, समिति की संस्तुति पर फल पौध रोपण सामग्री पर अनुमन्य अनुदान राशि की अवशेष 20 प्रतिशत अंश का भुगतान, यदि कृषक द्वारा स्वयं से पौध रोपण सामग्री क्रय की गयी है,

		पौधों की 90 प्रतिशत जीवितता पाये जाने पर परियोजना की कुल लागत का 35 प्रतिशत का भुगतान बागान स्थापित करने वाली फर्म को तथा कृषक द्वारा स्वयं बागान स्थापित करने की दशा मे अनुदान का 35 प्रतिशत भुगतान कृषक को किया जाएगा।	तो कृषक को किया जायेगा अथवा यदि फल पौध रोपण सामग्री का आवंटन निदेशालय द्वारा किया गया है, तो सम्बन्धित फल पौधशाला स्वामी को किया जायेगा। 3. <u>तृतीय संयुक्त स्थलीय निरीक्षण</u> : सेब के बागान मे कम से कम 90 प्रतिशत पौधों पर रोपित प्रजाति के मानकानुसार फल की गुणवत्ता एवं मात्रा को सुनिश्चित करने हेतु तृतीय
		3. <u>तृतीय संयुक्त स्थलीय निरीक्षण</u>: रोब के बागान में कम रो कम 90 प्रतिशत पौधे पर रोपित प्रजाति के मानकानुसार फल की गुणवत्ता एवं मात्रा को सुनिश्चित करने हेतु किया जायेगा। इसके सफल होने पर परियोजना की कुल लागत का 25 प्रतिशत का भुगतान बागान स्थापित करने वाली फर्म को तथा कृषक द्वारा स्वयं बागान स्थापित करने की दशा में अनुदान का 25 प्रतिशत भुगतान कृषक को किया जाएगा।	संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा। संयुक्त स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त, समिति की संस्तुति पर; यदि कृषक द्वारा फल पौध रोपण सामग्री स्वयं से क्रय की गई है, तो अनुदान राशि के अवशेष 10 प्रतिशत अंश का भुगतान कृषक को किया जायेगा अथवा यदि आवंटन निदेशालय द्वारा किया गया है, तो अनुदान राशि के अवशेष 10 प्रतिशत अंश का भुगतान संबन्धित पौधशाला स्वामी को किया जाएगा।

i. गुणवत्ता से सम्बन्धित मानकों के आलोक में इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट से सम्बन्धित कार्यों के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट हो जाने के पश्चात् ही फर्म को भुगतान किया जायेगा। साथ ही पौधरोपण सामग्री की गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जायेगा, जिससे कि पौधों की जीवितता के प्रतिशत में वृद्धि की जा सके।

ii. विभागीय योजनाओं का लाभ जनसामान्य तक पहुंचाने हेतु विभाग द्वारा ठोस एवं पारदर्शी रणनीति तैयार की जाय, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाय कि एक ही व्यक्ति/परिवार ही हमेशा लाभान्वित न हो; अन्य व्यक्तियों/परिवारों को भी डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभान्वित किये जाने हेतु नीति बनायी जाय, जिसमें आधार से भी लिंक किये जाने का भी प्राविधान हो।

File No. AFWJ MISC/1729/2023 XIII-3 Agriculture and Farmers Welfare Department (Computer No. 54878)
Generated from eOffice by KALAM SINGH CHAUHAN, SO-AGRI-1-KSC, SECTION OFFICER, Agriculture and Farmers Welfare Department on 11/03/2025 03:11 PM

3. उक्त शासनादेश दिनांक 07.02.2024 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर जनित ई संख्या–1/280690/2025, दिनांक 06.03.2025 में प्राप्त उनकी सहमति के अनुक्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीया,
Signed by
Mahima
Date: 11.03.2025 14:05:14
(महिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. महानिदेशक, कृषि एवं उद्यान, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
4. ~~महालेखाकार, उत्तराखण्ड, [illegible] देहरादून।~~
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड औद्यानिक परिषद, देहरादून।
7. समस्त मुख्य / जिला उद्यान अधिकारी, उत्तराखण्ड / उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार–द्वारा निदेशक, उद्यान।
8. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
9. अनुभाग अधिकारी, वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Signed by
Sudhir Kumar Chaudhary
Date: 11.03.2025 15:08:21
(सुधीर कुमार चौधरी)
उपसचिव

A-Cost Estimation of Construction of protection wall, Boundary wall, Access path to orchard and Filling of Earth

Sl. No.	Particular of Item	Quantity	Rate (Rs.)	Amount (Rs.)
1.	**Construction of Stone Masonry Protection wall.**			
1(a)	Excavation in foundation for retaining, breast walls etc, in all types of soils and rocks including all lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer – in – charge, as per drawing and technical specifications Clause 305.1 of MORD Specification.	62x0.6x0.20= 7.44 Cum	464.10 Rs./Cum (SOR item 1-2)	3,452.90
1(b)	Random Rubble Stone Masonry laid Dry, in breast walls, retaining walls, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc. complete as per drawing and technical specifications Clauses 702, 704, 1202 & 1203 of MORD Specification.	62x0.6x1.2= 44.64 Cum	3641.70 Rs./Cum (SOR item 1-3)	1,62,565.49
1(c)	Random Rubble Stone Masonry laid in 1:6 cement and sand mortar, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc. complete as per drawing and technical specifications Clauses 702, 704, 1202 & 1203 of MORD Specification.	62x0.6x1.0= 37.20 Cum	5655.40 Rs./Cum (SOR item 1-4)	2,10,380.88
1(d)	Providing concrete for plain/ reinforced concrete in open foundations complete as per drawings and technical specifications Clause 802, 803, 1202 & 1203. P.C.C grade M 15, Nominal mix (1:2.5:5)	62x0.6x0.10= 3.72 Cum	7818.60 Rs./Cum (SOR item 11-4-2-1)	29,085.19
2.	**Earth Filling.**			
2(a).	Filling in foundation trenches as per drawing and technical specification Clause 305.3.9, Earth filling (For marshy soil).	50x5.5x0.90= 247.50 Cum	298.00 Rs./Cum (SOR item 11-2-2)	73,755.00
3.	**Construction of B-wall.**			
3(a).	Brick masonry work in cement mortar in foundation complete excluding pointing and plastering as per drawing and technical specifications Clauses 600, 1202 & 1203, Brick masonry in 1:4 cement mortar.	1x62x0.115x1.0 = 7.13 Cum 21x0.23x0.23x1.0 = 1.11 Cum 7.13+1.11= 8.24 cum	7590.50 Rs./Cum (SOR item 11-5-2)	62,545.72

अभियन्ता
लो०नि०वि०
पटवाड़ी

3(b).	Plastering with Cement Mortar (1:4), 15 mm thick on brickwork in substructure as per technical specification	1x62x1.0 = 62 Sqm	248.70 Rs./Sqm (SOR item 9-13)	15,419.40
4.	**Construction of Access path to orchard.**			
4(a).	Plain/reinforced cement concrete in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 802, 804, 805, 806, 807, 1202 ans 1204 (For height upto 5 m) P.C.C. grade M 20, Nominal mix (1:2:4).	10.5x1.2x0.125=1.58 6x0.23x0.23=0.32 (15/2)x1.2x0.18=1.62 1.58+0.32+1.62=3.52	9280.60 Rs./Cum (SOR item 12-5-2-1)	32,667.71
4(b).	Supplying, fitting and placing HYSD bar reinforcement (Fe 415) in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 1002, 1005, 1010 & 1202	(1.58+0.32)x 1.5/100x7850/1000= 0.224 MT	66626.30 Rs./MT (SOR item 12-6)	14,924.29
5.	**Dismantling of Interlocking Tile and WBM Work.**			
5(a).	Dismantling Brick/Tile Work Dismantling of existing structures like culverts, bridges, retaining walls and other structures comprising of brick masonry, including disposal of unserviceable material and stacking the serviceable material with all lift and lead of 1000 m as per Technical Specification Clause 202. Dry Brick Pitching or Brick Soling.	50x5.5x0.08= 22.00 Cum	297.90 Rs./Cum (SOR item 2-6-D)	6,553.80
5(b).	Dismantling of Flexible Pavements Dismantling of flexible pavements and disposal of dismantled materials upto a lead of 100 m, stacking serviceable and unserviceable materials separately as per Technical Specification Clause 202, Granular courses.	50x5.5x0.15= 41.25 Cum	787.10 Rs./Cum (SOR item 2-14-1-B)	32,467.88
			Total	**6,43,818.26**
			Add GST 18%	**1,15,887.29**
			Total (A)	**7,59,705.55**

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
अगस्तवाडी

B- Cost Estimation of Re-plantation of 19 Apple trees in 0.031 ha

Sl. No.	Particular of Item	Quantity	Rate (Rs.) (with GST)	Amount (Rs.)
1.	Land preparation.	0.031 x 2.471= 0.077 acre	10,000 Rs./acre	770.00
2.	Pit digging and filling.	0.031 x 2.471= 0.077 acre	30,000 Rs./acre	2,310.00
3.	Cost of Planting material (@Rs. 150 per plant (plants-440) (spacing 3mx3m) (3-5 feathers)	0.031 x 2.471= 0.077 acre	66,000 Rs./acre	5,082.00
4.	Compost and fertilizers	0.031 x 2.471= 0.077 acre	4,000 Rs./acre	308.00
5.	Plant protection chemicals.	0.031 x 2.471= 0.077 acre	2,000 Rs./acre	154.00
6.	Micro irrigation with installation.	-	Lump sum	20,000.00
7.	Angle iron supported barbed wire fencing with 5 wire horizontal, 2 wire diagonally, angle iron 7 ft. in height, 5.5 ft. above ground and 1.5 ft. below ground.	0.031 x 2.471= 0.077 acre	1,92,000 Rs./acre	14,784.00
			Total (B)	**43,408.00**

मुख्य उद्यान अधिकारी
उत्तरकाशी

(20)

Abstract of Cost

Sl. No.	Particular of Item		Amount (Rs.)
1.	A- Cost Estimation of Construction of protection wall, Boundary wall, Access path to orchard and Filling of Earth	–	7,59,705.55
2.	B- Cost Estimation of Re-plantation of 19 Apple trees	–	43,408.00
	Total Cost of Restoration of Apple orchard.	**Total (A+B)**	**8,03,113.55**
		Say (Rs.)	**8,03,114.00**

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
भटवाड़ी

Outlook

PPROOF OF SERVICE 40

(No subject)

From dhruv tamta <tamtaadvocates@outlook.com>
Date Wed 2025-12-17 18:18
To Abhinav Raman semwal <semwalabhinavraman2985@gmail.com>

1 attachment (25 MB)
report in basanti devi OCR OCR.pdf;

Original Application No. 80/2025
Basanti Devi Vs THE DISTRICT MAGISTRATE

Sir/Madam
Please find attached copy of the REPORT on behalf of the Respondent.

regards
Dhruv Tamta
Advocate
+91-9899989917

Disclaimer: The content of this electronic communication is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and any others who are specifically authorized to receive it. It may contain confidential or legally privileged information. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or otherwise placing reliance on the contents of this information is prohibited and may be unlawful in certain legal jurisdictions. If you have received this communication by error please notify the sender immediately and then delete it from your system.

Security Warning: Although this e-mail and its attachments are believed to be free from any virus, it is the responsibility of the recipient to ensure that they are virus free.

Please consider the environment before printing this e-mail.